

विचार बिन्दु

सत्प्रथम इस लोक की चिंतामणि नहीं उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती हैं। संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। -अज्ञात

पेंशन के लिए पैसा नहीं, मुफ्त की रेविडियों के लिए खजाना खुला है - राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों के साथ अन्याय कब तक?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचो, 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करो। अदालत का यह आदेश केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, 43000 करोड़ रु. की लाइकी बहन जैसी योजना बंद करें-बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि फंड की कमी का बहाना बनाकर सरकार या नगर निगम प्रशासन पेंशन और बकाया लाभों का भुगतान टाल नहीं सकता। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद करें या दफ्तरी की संपत्ति बेचें, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक जरूर दें।

यह टिप्पणी सातवें वेतन आयोग लागू होने से पेंशनरों के सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग में कार्यरत रही एक महिला कर्मचारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया, जब सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिले। बार-बार आग्रह के बावजूद नगर निगम और सरकार की ओर से केवल फंड की कमी का हवाला दिया जा रहा था, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन की दोहरी नीति पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अतिरिक्त आयुक्तों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पूरा वेतन मिल सकता है, तब शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में अचानक फंड की कमी क्यों आना जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का समय आ चुका है, तब भी सातवें वेतन आयोग लंबित रखना गंभीर लापरवाही है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए धन नहीं है, तो उसे 'लाइकी बहन' जैसी योजनाएं बंद करने पर विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि उनका कानूनी अधिकार है।

यह टिप्पणी राजस्थान सरकार और यहां के सभी विश्वविद्यालयों के लिए आईना है। यह खबर राजस्थान के विश्वविद्यालय पेंशनरों का दर्द बयान करती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पेंशनर 12 दिन से घरने पर हैं। 42.6 डिग्री तापमान में न छाया, न पानी की व्यवस्था। नतीजा-बार-बार बुजुर्ग बहोश होकर मिर पड़े। ओआरएस और दवाइयों से प्राथमिक उपचार करना पड़ा। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. रामनिवास शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार होंगी।

सवाल यह है-नौबत यहां तक क्यों आई? विश्वविद्यालय की सालाना आय 76 करोड़ है, जबकि खर्च 121 करोड़। यानी हर साल 45 करोड़ का घाटा। 1,475 पेंशनरों को सालाना 105 करोड़, यानी हर महीने 8.75 करोड़ रुपये पेंशन देने की पड़ रही है। पिछले 8 वर्षों में 16 बार आंदोलन हो चुके हैं, पिछले वर्ष जुलाई में 92 दिन लगातार आंदोलन हुआ। फिर भी हर दूसरे महीने घरना देना पड़ रहा है।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

राजस्थान में आज स्थिति यह है कि लोक-तुषावन खुलासाओं के लिए खजाना हमेशा खोला रहता है, लेकिन जिन शिक्षकों ने 35-40 साल तक राष्ट्र निर्माण किया, उनकी पेंशन के लिए फंड की कमी का रोना रोया जाता है। राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं-लाइकी बहन जैसी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, युवा स्वरोजगार योजना, महत्वा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना-इन पर हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय पेंशनरों के लिए 550 करोड़ रुपये नहीं हैं।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है।

क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठीक नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है। समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है। अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचेंगे या पेंशनरों के आंसू पोंछेंगे। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेविडियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेविडी संस्कृति को बढ़ावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक, प्रो. पी. सी. कंठालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

राशिफल

शनिवार 9 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2083, श्रवण नक्षत्र राशि 11:25 तक, शुक्ल योग राशि 2:36 तक, बव करण दिन 2:03 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरु-मिथुन, शुक-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज सवाय सिद्धि योग राशि 11:23 तक है। आज कालाष्टमी है। श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:26 से 9:05 तक, चर 12:23 से 2:02 तक, लाभ-अमृत 2:02 से 5:20 तक। राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:47, सूर्यास्त 7:00

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परिशानियां दूर होने लगेंगी और व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

तुला
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलग्न हो सकते हैं। आज बने कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

धनु
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक व्यय से बचें। समय-अनुकूल कार्यों में खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मीन
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परिशानियां दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाना और को परिसीमन - राज्यों के शक्ति संतुलन को बचाकर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व कैसे हो



महावीर सिंह

16,17 अप्रैल 26 को लोकसभा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हुई। अवसर था नारी शक्ति को लोकसभा, विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देना। वैसे तो महिलाओं के लिए ऐसा संविधान संशोधन पहले किया जा चुका था किंतु राम, जाने उसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया था? क्या उसी संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया जा सकता था? लेखक के अनुसार किया जा सकता था, कोई बाधा नहीं थी। इसे अनावश्यक रूप से जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ा गया।

ऐसा क्यों किया गया? इस पर संसद में व्यापक चर्चा हो चुकी है। उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं होगा। सत्ता पक्ष महिलाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन चाहता है और इस की आड़ में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को मनमर्जी से पुनर्गठित करना चाहता था, ऐसा लगभग सम्पूर्ण विपक्ष का कहना था। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन में, यदि आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करे तो सत्ता पक्ष की इच्छाओं के अनुसार पटवार मंडलों, गिरदार हलकों को इस ढंग से निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ और हटा सकता है जो एक बार तो सत्तापक्ष का पलड़ा भारी कर ही सकता है।

परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से बंटवारा 2026 के बाद का सबसे बड़ा लोक-तुषावन खुलासा है, लेकिन जिन शिक्षकों ने 35-40 साल तक राष्ट्र निर्माण किया, उनकी पेंशन के लिए फंड की कमी का रोना रोया जाता है। राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं-लाइकी बहन जैसी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, युवा स्वरोजगार योजना, महत्वा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना-इन पर हर साल 40-50 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय पेंशनरों के लिए 550 करोड़ रुपये नहीं हैं।

अच्छी बात है कि गरीबों को राहत मिले, लेकिन क्या यह राहत उन लोगों का हक मारकर दी जा रही है जिन्होंने जीवन भर सेवा की? कृषि विश्वविद्यालयों में स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 22 महीनों की पेंशन बकाया है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर केवल 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, सातवें वेतन आयोग का एरियर लंबित है, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही, कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक है।

विडंबना यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 12-42 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल वित्तीय संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह पैसा आता कहाँ से है? यह पैसा इमानदार टैक्सपेयर की जेब से आता है-वह मध्यम वर्ग जो सुबह 9 से शाम 6 तक मेहनत करता है, इनकम टैक्स देता है, जोएसटी देता है। जब सरकार उसी पैसे से मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, नकद सहायता बांटती है, तो विकास के कार्यों में कटौती होती है। सड़कें टूटती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं-क्योंकि पैसा रेविडियों बांटने में खर्च हो रहा है।

क्या यह टैक्सपेयर के साथ ठीक नहीं है? उसने टैक्स इसलिए दिया था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे-न कि वोट बैंक बनाने के लिए पैसा बांटा जाए। मुफ्तखोरी समाज को आलसी बना रही है। युवा वर्ग में यह मानसिकता बन रही है कि सरकार देगी तो काम क्यों करें? यह राष्ट्र की उत्पादकता पर सीधा प्रहार है। स्वाभिमान से काम करके खाने की संस्कृति खत्म हो रही है और सरकार पर निर्भरता बढ़ रही है। समाधान भी स्पष्ट है। सबसे पहले, पेंशन और वेतन को प्राथमिकता दी जाए-यह कोई नया नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, फिजूलखर्ची पर रोक लगे-यदि पेंशन के लिए पैसा नहीं है तो गैर-जरूरी योजनाएं बंद हों। तीसरे, जवाबदेही तय हो-विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। उनके खर्चों में कटौती कर पेंशन दी जा सकती है। अब सरकार को तय करना है-लोकप्रियता या न्याय? वोट बैंक या राष्ट्र निर्माण? मुफ्तखोरी या स्वाभिमान? बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना है कि वे कुर्सी-टेबल बेचेंगे या पेंशनरों के आंसू पोंछेंगे। क्योंकि जिस देश में गुरु भूख के कगार पर हो और मुफ्त की रेविडियां बांटी जाएं, उस देश का भविष्य अंधकारमय होता है।

अंततः यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है। जिस समाज में अपने शिक्षकों और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़े, वहां विकास अधूरा रह जाता है। समय आ गया है कि सरकार यह तय करे-क्या वह रेविडी संस्कृति को बढ़ावा देगी या उन लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जीवन भर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

-अतिथि सम्पादक, प्रो. पी. सी. कंठालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मुख्य मुद्रा वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या तय की गई है। प्रथम लोकसभा के लिए, 1950 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर औसतन एक सीट प्रति 7,20,000 जनसंख्या का आधार लिया गया था। पूरे देश के लिए कुल 401 निर्वाचन क्षेत्र बने और इस आधार पर पहला सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला चुनाव हुआ। 1951 जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटें बढ़कर 494 हो गईं। 1963 में परिसीमन आयोग ने 1961 जनगणना के आधार पर और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन सीटें बढ़कर 522 हुईं। 1971 जनगणना के बाद सीटें बढ़कर 543 हुईं और यही संख्या है।

1976 के 42वें संशोधन ने 1971 जनगणना के आधार पर सीटों का राज्य-वार आवंटन फ्रीज कर दिया। इसे 2001 में 84वें संशोधन द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया। 2002 Delimitation ने सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, सिर्फ सीमाएं समायोजित कीं। यह भी याद रखना होगा कि भारतीय संविधान में दूसरे संशोधन, 1952 की के द्वारा 'not less than one member for every 750,000 of the population and' हटा दिया गए और इस प्रकार 7,50,000 की अधिकतम सीमा पूरी तरह हटा दी गई। केवल 5,00,000 की कम से कम जनसंख्या सीमा बनी रही जिसे भी बाद के संशोधनों में हटा दिया।

वर्तमान में कुछ प्रांतों की सीटों की स्थिति पर विचार करें। लोकसभा में 543 में से उत्तर प्रदेश के 80, बिहार 40, महाराष्ट्र 48 सीटें, तमिलनाडु 39, केरल 20 सीटें और राजस्थान में उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, केरल 9 सदस्य हैं। आंशिक है कि 2026 के बाद अगर केवल जनसंख्या आधार माना तो बड़-बिहार की लोकसभा सीटें 200 पर कर सकती हैं। तमिलनाडु-केरल की सीटें अनुपातिक रूप से घटेंगी। इससे जिन राज्यों ने परिवार नियोजन लागू किया, उन्हें 'सजा' मिलेगी और राज्यों के केंद्र के तथा आपस में राज्यों के बीच अविश्रवास बढ़ेगा। देश के संविधान में उल्लेखित संघवाद की भावना क्षीण होगी।

संविधान क्या कहता है अनुच्छेद 81: लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होगा। अनुच्छेद 82: हर जनगणना के बाद परिसीमन होना है, पर 42वां और 84वां संशोधन कर 2026 तक इसे टाल दिया गया। अनुच्छेद 80: राजस्थान राज्यों का सदस्य है, पर सदस्य संख्या जनसंख्या पर आधारित है। संविधान 'जनसंख्या' और 'संघीय संतुलन' दोनों की बात करता है। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक मनन किया जाकर देश हित में निर्णय आवश्यक है। जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मान्यता भी मिले और राज्यों के बीच संघीय संतुलन को कायम रहे। किसी राज्य को यह नहीं लगाना चाहिए कि उसे प्रगतिशील नीतियों के सफल क्रियान्वयन करने की सजा मिल रही है। इसके साथ ही संघीय आय व राजस्व में पिछड़े, विशेष समस्याओं वाले राज्यों का उचित खयाल रखा जाए।

इस संबंध में कई प्रस्ताव विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं, स्वतंत्र विचारकों, संविधान के ज्ञाताओं के विचार संसद में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या बंटवारे की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोपाग कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सुशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या बंटवारे की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोपाग कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सुशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। बिहार, झारखंड का कम है

टीवी चैनल पर सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है ---राज्यसभा में हर राज्य से 5,7 सांसद हों अर्थात् राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार न हो। राज्य सभा 'राज्यों का सदन' है। उदाहरणार्थ अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, चाहे कैलिफोर्निया हो या अलास्का। इससे छोटे राज्यों को संघ में बराबरी मिलती है।

क्या भारत में इस पर, किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है? एक आधार हो सकता है, 250 सीटों में से हर राज्य को 1 या 2 या 3 सीटें कुल 36/72/108 सीटें मिलें। वर्तमान संख्या 350 में से बाकी 214 /178/142 सीटें क्षेत्रफल 25%, राजस्व योगदान 25%, मानव विकास सूचकांक 25%, अनुसूचित क्षेत्र/सीमावर्ती 25% के आधार पर बांटी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के लिए अधिकतम सीमा 5 सदस्य प्रति राज्य रखी जा सकती है। इस से सिक्किम, गोवा, नॉर्थ-ईस्ट की आवाज मजबूत होगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी जनसंख्या बंटवारे की 'सजा' नहीं मिलेगी। हां, यह अवश्य है कि UP, बिहार जैसे राज्यों को लोपाग कि उनके प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा।

एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि संविधान संशोधन कर राज्यसभा को योजनाओं पर पूर्ण बहस व सुशोधनों का अधिकार दिया जाए। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधेयक लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 110 बदले बिना भी राज्य सभा में संसदीय समिति बनाकर को सभी 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पहले राज्यसभा में विस्तृत बहस के लिए भेजी जा सकती हैं। इस से जिन राज्यों का असर राज्यों पर पड़ता है, उन पर राज्यों के सदन को पूर्व-समीक्षा का अधिकार मिले। इससे संघीय भावना बढ़ेगी। संसामुक्त बंटवारे में जित आयोग की सिफारिश पर राज्यसभा में बहस व समर्थन अनिवार्य हो।

लोकसभा सीटों का राज्यों में वितरण के लिए भी सिर्फ जनसंख्या से हटकर 'बहु-सूचकांक फॉर्मूला' अपनाया जा सकता। यदि केवल जनसंख्या को आधार मानें तो 10,15,20 लाख की जनसंख्या पर एक लोक सभा सीटें निर्धारित हो तो संख्या इस प्रकार हो सकती है:-1420, 940, 720। एक प्रस्ताव के अनुसार, 2026 के जनसंख्या के आधार पर संविधान में उल्लेखित कुल 543 की सदस्य संख्या का 50% अथवा अन्य कोई प्रतिशत जो संसद तय करे, उसके अनुसार, एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार रखी जा सकती है। लोकसभा में 10% प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिस से राजस्थान जैसे बड़े पर कम घनत्व वाले राज्यों का महत्व मिलेगा।

अन्य बिंदु जिन का लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर ध्यान रखा जा सकता है, वे यह हो सकते हैं:- राजस्व एकत्रीकरण:- ---महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का जोएसटी-आयकर में 15% ज्यादा देते हैं, उन्हें महत्व मिलेगा। विकास व्यय गती:- पिछले 10 साल में पूंजीगत व्यय के आधार पर अर्थात् राज्य में पैसा जमीन पर लगाया उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक अर्थात् HDI + पिछड़ापन भी पैमाने में हो। केरल का 3% ऊंचा है तो उसे